

(1)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2614/स्था./प्रशा./2005

बिलासपुर, दिनांक 30.06.2005

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातक बैठक दिनांक 28.06.2005 अ.अ.विषय क्रमांक-02 के निर्णयानुसार डॉ० श्रीमती मनीषा दुबे (अनारक्षित) आत्मजा- डॉ० आर.एस.शर्मा की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में उपाचार्य अर्थशास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 12000-420-18300/- में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक् किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जाँच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होंगी।

दिनांक 15.07.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होंगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य शर्तें मान्य नहीं होंगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार


कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 30.06.2005

पृ. क्रमांक 2615/स्था./प्रशा./2005

विलिपे -

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनाएं अप्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अधिकृत मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. कुल उच्च शिक्षा महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय, पाटसर, छ.ग. शासन पर (छ.ग.)।
07. महामहिम अर्थशास्त्र गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाएं।
08. नि.सचिव/सहायक सचिव, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. डॉ० श्रीमती मनीषा दुबे आत्मजा- डॉ० आर.एस.शर्मा..... इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 15.07.2005 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निजी नस्ती।

उपकुलसचिव (प्रशा./स्था.)

